

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प.....

राजस्व/2021/

दिनांक: / /2021

आदेश

आवेदक श्रीमती कैलाशी देवी उर्फ सोनी पत्नि फैलीराम ने तहसील कोटखावदा के ग्राम ठीकरिया मीणान में स्थित आराजी के संबंध में जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 265 पर अंकित प्रविष्टि दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का ठीकरिया मीणान द्वारा जाँच की जाकर ग्राम ठीकरिया मीणान की जमाबन्दी के खाता संख्या 265 की प्रविष्टि के स्थान पर कैलाशी देवी उर्फ सोनी पत्नि फैलीराम किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अनुशंसा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी हल्का ठीकरिया मीणान की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्रीमती सोनी देवी उर्फ कैलाशी देवी पत्नि फैलीराम निवासी बास बीलवा तहसील सांगानेर के आवेदन पर जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 265 वाके ग्राम ठीकरिया मीणान में अंकित प्रविष्टि सोनी देवी पत्नि फैलीराम के स्थान पर सोनी देवी उर्फ कैलाशी देवी पत्नि फैलीराम किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)
दिनांक: 12/1 /2021

क्रमांक: राजस्व/2021/ 408-409

प्रतिलिपि:- निम्न को पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार कोटखावदा।
2. पटवारी हल्का ठीकरिया मीणान।

(डॉ. गोरधन लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)